

569

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
EXECUTION APPLICATION NO. 27 OF 2023

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 561 OF 2022

IN THE MATTER OF:

UrvashiShobhnaKachari.

.....Applicant

Versus

Union of India &Ors.

... Respondent

AND IN THE MATTER OF:

ShashikanthPurohit.

.....Applicant in E.A.

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, CHAMOLI,
UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 5.1.2024 PASSED
BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVEMENTIONED MATTER**

P A P E R - B O O K

I N D E X

<u>Sri</u>	<u>Particulars</u>	<u>Pages</u>
1.	Affidavit on behalf of District Magistrate, Chamoli, Uttarakhand in compliance of orders dated 5.1.2024 passed by this Hon'ble Tribunal in the abovementioned matter	
2.	<u>ANNEXURE-1</u> : A true copy of the order dt.05.01.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.	
3.	<u>ANNEXURE-2</u> : Copy of minutes of meeting dated 25.1.2024	
4.	<u>ANNEXURE-3</u> : Copy of letter of C.V.O., Chamoli	
5.	<u>ANNEXURE-4</u> : Copy of letter of A.R.T.O.Chamoli	
6.	<u>ANNEXURE-5</u> : Copy of letter and photographs of E.D.C. BhundarChamoli	
7.	<u>ANNEXURE-6</u> : Copy of letter Divisional Forest Officer, Nanda Devi National Park Joshimath, Uttarakhand	
8.	<u>ANNEXURE-7</u> : Copy of letter of Tourism Department	
9.	<u>ANNEXURE-8</u> : Copy of letter of D.P.R.O Chamoli	


Filed by:

Rahul Verma

[RAHUL VERMA]

Additional Advocate General for State of Uttarakhand /Respondent
137, Tower No.10, Supreme Enclave, MayurVihar Phase-I, Delhi-110091
Mobile No. 9717706032

Email- advrahulverma9999@gmail.com



IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
EXECUTION APPLICATION NO. 27 OF 2023

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 561 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Urvashi Shobhna Kachari.Applicant

Versus

Union of India &Ors. ... Respondent


AND IN THE MATTER OF:

Shashikanth Purohit. Applicant in E.A.

AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, CHAMOLI,
UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 5.1.2024 PASSED BY
THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVEMENTIONED MATTER

I, Vivek Prakash S/o Shri Ramayan Prakash, aged about 51 years, presently posted as District Magistrate, Chamoli, (incharge) District Chamoli, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my abovementioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent to file present Affidavit on behalf of District Magistrate, Chamoli, Uttarakhand.
2. That the abovementioned matter was listed on 5.1.2024 and after hearing, this Hon'ble Tribunal was pleased to pass a detailed order.




Handwritten signature

571

A copy of the order dated 05.01.2023 is annexed hereto and marked as ANNEXURE-1.


3. That in compliance with order dated 05-01-2024 of the Hon'ble National Green Tribunal Principal bench, New Delhi in Original Application No. 561/2022, Urvashi Shobhana Kachri vs. Union of India and others, a meeting was held under the chairmanship of District Magistrate Chamoli on 25/01/2024. Copy of minutes of meeting dated 25.1.2024 is being annexed as ANNEXURE-2.

4. That in compliance of the order dated 05-01-2024, passed by National Green Tribunal Principal bench, New Delhi, the Animal Husbandry Department of Chamoli district established a temporary veterinary hospital / animal monitoring post every year at Pulna and Gangaria during the period of Sri Hemkund Sahib Yatra. In which 01 Veterinary Officer and 01 Livestock Extension Officer are deployed on the basis of rotation process, through whom the facilities of medical treatment, health test, insurance etc. are provided to all the pack mules operated on the travel route.




Handwritten signature

5. That SOP, issued by Government Order No. 755/XV-1/23/1/(12)22/ dated 01 May 2023, for the handling of equine animals on the Yatra route, in which prevention of the possibility of unnecessary animal cruelty on the Sri HemkundYatra route has been done. For this, a maximum carrying capacity of 70 equine animals per kilometer (1050 equine animals for a total distance of 15 km.) has been fixed on the travel route. Whose complete compliance is being ensured.
6. That a total capacity of 5000 (five thousand) equine animals for the journey route is determined, out of which 400 (four hundred) are determined for the journey and 1000 (one thousand) are determined for using of carrying goods on the Yatra route. About 263 equine animals per kilometer (to end for journey) about 263 equine animals per kilometer (5000 equine animals for a total journey of 19 km.) and to prevent the possibility of unnecessary cruelty on the HemkundYatra route, warm drinking water and road shelters are provided to the animals on the Yatra route. For proper arrangement, a maximum capacity of 70 equine animals per kilometer (1050 equine animals for a total distance of 15 km.) is fixed.



Rawat


7. That maximum 02 equine animals will be operated by each animal owner on the Yatra route. One trip per day will be allowed with horse and drawn animal.
8. That prevent premature death of equine animals due to fever, cough, asthma, pneumonia etc. due to extremely difficult conditions and cold environment on the travel route and due to rain, snow, hailstorm, it is necessary to provide appropriate temporary road shelter for the animals at some distance. Arrangements will be ensured. After feeding the animal, it is mandatory to give it rest for at least 20 minutes.
9. That before traveling on Yatra route, every animal will be thoroughly health checked. In case of any deficiency in health examination, equine animals will never be allowed to be transported on the travel route.
10. That before the Yatra season, Glander test will be conducted by the owners of equine animals and the test report will be presented before the Yatra. Equine animals will be included in the Yatra only if the Glander test report is negative.
11. That health test report will be issued to the owners of equine animals by a registered veterinary officer. In which the



Rawat


number of ear tag applied on the ear of equine animals will mainly be shown, the size and weight of the animal.

12. That in case of irregularities by some animal owners, the animals are not removed from the travel route even after being banned. In order to ensure strict legal action against the animal owners in case of death of these animals due to over-exploitation. Regular coordination & review meetings will be convened to exchange information between the Animal Husbandry Department and any other executing organization and the officer of the Animal Husbandry Department will be given software access.
13. That some animal owners are removing the chip straps allotted by some other implementing organization on the travel route and using them illegally on other animals. Better efforts will be made to prevent this irregularity.
14. That depending on the travel route, a permanent or temporary veterinary hospital will be established near each road shelter in the camps and on the middle route. Veterinary Doctor (on contract) and Para-vat will be appointed at the veterinary hospital.



Handwritten signature

15. That before employing the equine animals used on the Yatra route, an adaptation period of minimum one week will be ensured as per the geographical view of the area so that the animal can adapt itself to the area.
16. That sanitization workshop will be organized through the District SPCA or Uttarakhand Animal Welfare Board and Uttarakhand Pollution Control Board, under the direction of the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Courts, and the Hon'ble National Green tribunal for welfare of respective department employees some special procedure are Also being adopted by the Veterinary doctors for management of equine under by the Remount Veterinary Corps and Paramilitary Forces (such as ITBP) under the Indian special medical camps will be organized for this special training for the veterinarians and support personnel of the Animal Husbandry Department, under the guidance of retired veterinarians of the Indian Army serving in the Remount Veterinary Corps or ITBP or the specialized animal welfare organization for horse welfare- Books India, PFA is conducted in the horse sanctuary of Uttarakhand or at other places.



hatched


17. That in case of premature death of equine animals is extremely difficult and cold environment on the travel routes, there is a possibility of spread of epidemic and pollution of water sources. Within 24 hours, after the dissection report is issued by the veterinary officer before the disposal of dead bodies of equine animals, the dead bodies of equine animals should be buried deep underground through the executing agency and the animal bodies should be disposed of by way of cremation. In case of delay in the post-mortem report, the body of the dead equine animal should be kept covered.
18. That any equine animals falls injured/sick during the journey will not be allowed to walk on the journey route again. Once equine animal declared injured /sick and the equine animal is working on the travel route, then the owner of the animal will be fined and the license certificate will be cancelled.
19. That if the animal owner violates the provisions of Prevention of Cruelty to Animals Act 1960, then in such a situation, a First Information Report will be lodged against that animal owner.



Rawat

20. That in order to effectively control over the animal owner, unnecessary cruelty or excessive exploitation of animals, the District S.P.C. will be formed under the chairmanship of the District Magistrate including the departments (animal husbandry department, local body/district panchayat, forest department/pollution board and police) as ex-officio members. In a team of representative personnel of officers of the Department) with the help of Provincial Defense Team/Home Guards staff, checking of horse token allotted daily on the route, checking of horse handler token, checking of number of rounds by each animal, checking of injured/sick animals. Marking and separation from transportation, animal death in such a situation, the identity of the animal owner and the method of disposal of the dead body of equine animal will be investigated and if any irregularity is found, legal action will be taken by the concerned department against such animal owner.

21. That permanent horse sheds should be made available on the rent to animal owners at a distance of 01 to 02 km from the main settlements /base camps of the pilgrimage routes. Proper arrangement of electricity, body temperature and lukewarm




huchel

drinking water should be ensured to provide in these shelters and availability of animal feed and fodder at reasonable rates as per the demand will be ensured.

22. That due to toll free numbers being outside the network area on travel routes, it is not possible to contact in case of any kind of emergency. In this sequence, necessary action should be taken to connect the toll free number to the network area, so that any problem of the passengers and equine animal owners can be resolved. Copy of letter of C.V.O., Chamoliis being annexed hereto and marked as ANNEXURE-3.

23. That in the past years, the state government has made arrangements to determine the number of tourists (limited number of passengers). Under which it is mandatory for every traveler coming to ChardhamYatra to register on the website of the Tourism Department. And it is mandatory for the vehicles coming for ChardhamYatra to bring Trip Card. After determining the number of passengers, the transport department can ban the operation of vehicles without trip cards with the help of the police department. For example, if 5000 passengers are registered on a




handed

specific date on the website of the Tourism Department, then vehicles without Trip Card can be stopped.

24. That there are some pilgrims who come to BadrinathDham and also visit Hemkund Sahib and Valley of Flowers. The limited number of such devotees /tourists will be decided by the Forest Department and Police Department (departments whose check posts are established on the respective routes). Apart from this, it will be made mandatory for the companies providing Heli Service to follow the above mentioned Trip Card standards.

25. That from time to time, the Transport Department organizes road safety awareness programs to provide environmental awareness to the general public including drivers of public vehicles. The Transport Department will create awareness about the environment by installing stickers, dustbins and dust-bags in public passenger vehicles. Copy of letter of A.R.T.O.Chamoliis being annexed as ANNEXURE-4 .


26. That during the Yatra period on the PulnaGhangariaShriHemkund Sahib and valley of flower trekking route, Hoarse, mule, Dandi-Kandi is being operated by EDC Bhundar under the direction of District PanchayatChamoli. 60



Handwritten signature

Environment Mitraare being organized by EDC in every day on the entire Yatra route and on the trekking route. It is organized to collect all the inorganic wastes, plastic bottles etc. thrown by the tourists on the travel route and give them for cutting, grinding and recycling in the scrap machine in the dumping yard at Ghangaria and the rest material is given for recycling to the compactor machine in the dumping yard in Pulna. There 02 (two) RVM (Reverse Vending Machine) have been installed by Eco VikasSamiti for Ghangaria market in which travelers and tourists can put their own plastic bottles and crush them. Considering the utility of using both the machines, RVMs will be installed in future also, which will help in minimizing plastic bottle waste.


27. That, EDC PulnaBhundar operates horses, mules and Dandi-Kandi on rotation basis on the travel route. There 02 (two) teams are deployed by the Animal Husbandry Department, Chamoli at Pulna and Ghangaria, which is conducting the vaccination of horses and mules and veterinary treatment by the Animal Husbandry Department. In case of accidental death of a horse or mule, its PM is sent to the horse owner. And after



Handwritten signature

getting it done by the veterinarian posted in the area by EDC, Horse, Mule Union, Village Bhundar etc., the committee prepares a Panchanama and disposes of the dead body by burying it in the soil duly by the environment friends working in the committee and the stray animals are treated by the animals posted in the EDC area. With the help of the team of rearing department, most of the journey is done on foot. It is very difficult to decide on a specific place for disposing of the dead body. Therefore, for disposing of the dead body, the dead body is buried in a pit in the forest away from the travel route. It is disposed of for which the environmental friends of EDC cooperate and the dead body is buried after adding lime, finlay, salt. The entire route is full of Himalayan bears, due to which the place is monitored from time to time for a week. To check whether any bear has taken out the dead body, the responsibility has been entrusted to the environment friends working on the yatra route.

28. That, for the Yatra 2023-24, display boards have been made to make the passengers aware so that the passengers and tourists remain sensitive towards the environment and the




Rawai

surrounding environment. Instructions have also been made to sympathize with the passengers and cargo animals and take care of them so that the travelers themselves keep these in mind while travelling, display boards related to the beauty of Bhudar Valley and that valley have also been installed on the entire travel route.

29. That, under the direction of District Panchayat, Chamoli, by EDC Bhundar, in addition to solid waste management, 15 pits have been constructed on the side of the road for the feces of washed mules. The old pits have also been emptied and made for use. The OCD has been installed to free from foul smell. There are 50 (organic solution) and from time to time bleaching and daily spraying of final solution is done, all of which is given to environment friends from Ghangaria office for their use.


30. That barriers and EDC employees are appointed for the operation of horses, mules, Dandi, kandi etc. on the yatra route. All horse, mule operators and owners have been instructed to create a Whatsapp group and coordinate among themselves,



Rawal

registration before the start of the Yatra. After this, this group is formed.

31. That the operation of horses, mules, Dandi and kandi on the yatra route is operated by District Panchayat Chamoli through EDC Pulna Bhundar. Entry is given after registration by EDC and horses and mules are operated through rotation on the entire Yatra route. The horses per kilometer limit for the 2024 Yatra period, which was fixed at 75 horses per kilometer for the 2023 Yatra, will be fully implemented, regarding which all horses, mule owners and operators have been informed in advance that they are healthy and Boards have been made to give proper instructions to the passengers capable of walking on foot, not to travel by horse and mule, which are put up at the beginning of the journey route and also at the horse-mule counter. Instructions related to animal cruelty have also been made for the passengers, and it has been directed that if any operator beats or hits the mule with sticks while moving or at a standstill, then stop him from doing so, do not protest and become a participant in this sin. That there are separate arrangements of horse and




[Handwritten signature]

mules from Pulna to Ghangaria and from Ghangaria to Hemkund. If any traveler wants to go directly from Pulna to Hemkund by horse , then he has to change his horse at Ghangaria, due to which the higher Himalayas. Very little road in the area goes from Ghangaria to Hemkund, due to the rotation system, after carrying the passengers one day, the horse and mule get rest on the next day.

32. That, new Chariya has been built on the Yatra route for the provision of drinking water for the horse and mules and the repair work of the old Chariyas is going on. Hot water geysers have also been installed by JalSansthan along with the Chariya at three designated places i.e. Pulna, Bhundhar and Ghangaria. All the Chariya are connected by the JalSansthan itself before the start of the journey by stand post.


33. That, HemwatiNandanGarhwal University can help in making the travelers, tourists and local people aware about the environment, public sentiments, folk traditions etc., while under the Center for Study of Mountain Tourism and Hospitality



Handwritten signature

(Department of Tourism), a walk under the name *SairSalika* can be organized. This awareness campaign is being run among the students for many years, which is being continued under NSS in all the schools from this year. If awareness related workshops and study research related to environment, folk sentiments, folk traditions etc. can be conducted on all the travel routes through schools under this tourism route, then this can bring about a lot of change from the social point of view. Copy of letter and photographs of E.D.C. BhundarChamoliis being annexed as ANNEXURE-5.

34. That, Organic and Inorganic waste is disposed of as per rules directed by EDC Bhundar under the control of this forest division on GovindGhat, Ghangaria, Sri Hemkund Sahib Yatra route. EDC Bhundhar has deployed 50-60 sanitation workers for collection and separation of solid waste on Sri Hemkund Sahib Yatra route, 01 plastic crusher machine and 02 plastic bottles crusher machines have been installed at Ghangaria. Apart from this, a compactor machine has been installed by EDC Bhundar at




[Handwritten signature]

Pulna for disposal of excess garbage. After compacting the garbage, it is sold by EDC to registered recyclers.


35. That the number of horses and mules going on the ShriHemkund Sahib Yatra route has been limited to 1100 by EDC Bhundar. Apart from this, E.D.C. PulnaBhundar has also installed a weighing machine at the horse stops. Horses are provided only after weighing the person. Year 2023 EDC on Sri Hemkund Sahib walking route. 1200 horses and mules have been registered. Copy of letter Divisional Forest Officer, Nanda Devi National Park Joshimath, Uttarakhand is being annexed as ANNEXURE-6.

36. That registration has been made mandatory by the Tourism Department to determine the limit of tourists going to Hemkund Sahib, Valley of Flowers and permission to go to Hemkund Sahib will be given only after verification of registration at the place Pulna.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Anand".

37. That Do's & Don't guidelines for tourists are being installed on the route by the Tourism Department, Public Works Department and EDC Bhundar.
38. That tourists are encouraged not to throw or carry non-organic waste like plastic bottles etc. with them, for which E.D.C. District Panchayat, Forest Department and Tourism Section of Garhwal University motivates tourists /local residents for garbage disposal. Copy of letter of Tourism Department is being annexed as ANNEXURE-7.
39. That 01 blue and 01 green organic and non-organic food bins have been distributed to 105 families residing within the area of Gram Panchayat Bhundar and approximately 210 dustbins have been distributed for collecting garbage from home. And the villagers have been motivated to keep the household waste in separate dustbins and take it to the collection centre.



hweh


587

40. That Public dustbins have been constructed under Gram Panchayat Bhudar in which villagers and Hemkund travelers throw garbage.

41. That a segregation shed has also been constructed in Gram Panchayat Bhundar in which three store forms have been made out of them 1-iron, 2- plastic and 3-glass etc. waste is kept and in Bhundhar itself the plastic waste is compacted at the compactor center built by the District Panchayat.

42. That apart from the above, an Environment Development Committee (EDC) has been formed by the local villagers in Bhundhar, which is conducting the works related to cleanliness and garbage collection on the yatra route from Govindghat to Hemkund, a border place of Gram Panchayat, during the entire Hemkund Yatra period. Has been doing since. Copy of letter of D.P.R.O Chamoli is being annexed as ANNEXURE-8.


43. In view of the facts and circumstances as explained hereinabove sincere efforts are taken by the District Administration, Chamoli, in compliance of the directions passed



hunched

589

by this Hon'ble Tribunal, the same may kindly be accepted by this Hon'ble Tribunal and the deponent hereby undertakes to comply with every direction passed by this Hon'ble Tribunal.



[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above report by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Verified by me at Gopeshwar, Uttarakhand on this 03 day of March, 2024.


It is certified that Shri/Smt. Minak Parakesh
No deponent is identified by Rakesh Kumar
of the State of Uttarakhand
Affidavit at Gopeshwar Charnoli
D. S. Rawal
Advocate
Gopeshwar Charnoli
R. No. 08/11003

[Signature]
DEPONENT
Filed by:

[Signature]

[RAHUL VERMA]
Additional Advocate General for State of Uttarakhand
/Respondent
137, Tower No.10, Supreme Enclave,
MayurVihar Phase-I,
Delhi-110091
Mobile No. 9717706032
Email- advrahulverma9999@gmail.com

[Signature]



550
ANNEXURE - I

Item No. 08

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Execution Application No. 27/2023

IN

Original Application No. 561/2022
(M.A. No. 54/2023)

Urvashi Shobhna Kachari

Applicant

Versus

Union of India & Ors.

Respondent(s)


Shashikanth Purohit**Applicant in EA 27/2023**

Date of hearing: 05.01.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**Applicant: Mr. Raj Panjwani, Senior Advocate with Ms. Esha Dutta, Adv. for
Applicant in E.A 27/2023Respondent: Mr. Rahul Verma, AAG for the State of Uttarakhand with Mr. Naresh
Kumar, C.D.O, Rudraprayag, Mr. Abhishek Tripathi, ADM, Chamoli &
Mr. Raza Abbas, ADM, Uttarkashi
Mr. Mukesh Verma, Adv. for UKPCB**ORDER**

1. This execution application has been filed seeking execution of order of the Tribunal dated 08.02.2023 passed in OA No. 561/2022. In that OA, grievance was raised in respect of large-scale unregulated violation of environmental norms along the pilgrim tracks of Kedarnath, Hemkund Sahib, Yamunotri and Gomukh pilgrimage centres in Uttarakhand. The allegation was in respect of indiscriminate disposal of plastic and animal waste, unregulated human waste, unregulated equine dung/waste/carcasses. It was noted in that order that around 19 lakhs pilgrims had visited these places and about 20,000 equines were used during the relevant season.

1



2. On the direction of the Tribunal, the joint Committee had submitted the report which was duly considered by the Tribunal in the order under execution. In the concluding remark, one of the recommendations of the joint Committee was relating to calculation of carrying capacity and the said recommendation is quoted below:


"5. Concluding Remarks and Recommendations:

It is evident from the above observation that solid and plastic waste management is very poor in the pilgrim tracks viz Kedarnath, Yamunotri, and Hemkund Sahib. However, Gangotri Gomukh trek has moderate level of management for solid waste which need to be strengthened. On the track, there was solid and plastic waste as well as mules/equines dung. No proper collection, transportation and disposal system for solid waste, plastic waste and dung was observed. Waste is swept to the side of the track by sweepers working to clean the tracks. The shelter/grandstand was found to be in extremely poor condition. In comparison to registered mules/equines, there are fewer and smaller shelters. All four pilgrim tracks have a dung heap at the shelter place. Disposal mechanism of dead body of mules/equines is not defined. Hence, Zila Panchayat, Chamoli, Rudraprayag and Uttarkashi may be directed to comply with following recommendations.

- a. *An initial level carrying capacity assessment of mules/equines on the track path is being done by GBPNHE using preliminary data provided by the district authorities/agencies (Annexure-2). However, a socio-ecological criteria based extensive study is required for the carrying capacity assessment of all the pilgrim tracks through reputed govt. Institute and accordingly allow pilgrims to visit. A system for managing and regulating people in pilgrimage locations, especially during peak season, should be developed (April, May and June),"*

3. The Tribunal after considering the report had reached to the following conclusion in the said order:

"5 The report shows serious failure on the part of Administration in the State in breach of its Constitutional responsibility for which accountability needs to be fixed and the situation remedied on war footing for protection of environment in fragile eco-system of Himalayas and upholding the principle of sustainable development. This needs to be taken up on priority at highest level in the




Handwritten signature

Administration in coordination with all concerned. Such important and sensitive responsibility should not be left with Zila Panchayats without serious involvement of District Administration and the State at higher levels.

6 Accordingly, we allow this application and direct the State to forthwith take effective remedial measures in the matter. A joint Committee of Chief Secretary, Uttarakhand, Additional Chief Secretary, Environment and Forest, Uttarakhand, DGP, Uttarakhand, Director, G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment & Sustainable Development, Director, Wildlife Institute of India, Dehradun, District Magistrates, Rudraprayag and Uttarkashi, Chairmen, Zila Panchayats, Rudraprayag and Uttarkashi Districts may meet within 15 days from today to take stock of the situation and prepare road map. The Committee will be free to meet online/offline, to undertake site visits and interact with stakeholders. **The action plan may inter alia include limiting number of vehicles, type of vehicles, number of tourists, number of mules, consistent with the carrying capacity of eco-sensitive area.** It may review and plan infrastructure for waste management, disposal of dead mules and other measures for protection of flora and fauna, safety precautions, installing locations for CCTV cameras, monitoring mechanism, control room, developing an appropriate mobile App, preparing SOP and display boards of do's and don'ts, demarcation of areas where activities incompatible with environment are prohibited/regulated, sources of funds to sustain regulatory measures, traffic management at suitable locations, compliance of environment norms including Water Act, Air Act and EP Act, imparting awareness and education on environmental issues to the tourists, inhabitants and operators. The action plan may also include discouraging use of food and products packed in non-biodegradable packaging material, encouraging depositing waste at designated places, involving citizens - the youth, house-wives and senior citizens in guiding tourists in maintaining cleanliness and hygiene. The taxi drivers and bus drivers may also be involved in creating awareness among the tourists. The execution of action plan may be duly monitored in the light of experience gained, the plan may be revised periodically every seasons or as per need. Waste processing/management facilities for bio-degradable and non-biodegradable waste may be set up at appropriate locations which may be set up on contract basis or otherwise, using best practices on the subject. Requisite funds be allocated at district and gram panchayat level for execution of action plan which may be monitored at District Magistrate level and finally supervised by the Chief Secretary."

4. In terms of the said order also, the concerned authorities were required to prepare a road map and action plan and the said action plan was required to include limiting number of vehicles, types of vehicles, number of tourists, number of mules, consistent with the carrying capacity



[Handwritten signature]

of eco-sensitive area. Therefore, the entire exercise was required to be done on the basis of the carrying capacity of the area concerned.


5. The reports on behalf of Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board (UEPPCB) and Secretary, Forest have been filed.

6. On perusal of the report, we find that the facts and figures which are disclosed therein are not in reference to the carrying capacity.

7. Learned Counsel appearing for UEPPCB has fairly admitted that till now no carrying capacity study has been carried out. He submits that the carrying capacity study will now be carried out within a period of two months and a report disclosing the carrying capacity of all the concerned areas under consideration will be filed positively within a period of two months before the Tribunal.

8. The submission of learned Senior Counsel for the Applicant is that till a study relating to carrying capacity is carried out, the carrying capacity of pilgrims at Kedarnath i.e. 13000, Gangotri 8000 and Yamunotri 5000 which was stated in the order dated 13.04.2023 should be treated to be the maximum limit of pilgrims on the basis of assumed carrying capacity. In respect of equines, he has disclosed that at Kedarnath 2250, Hemkund 2375, Gangotri 2250 and Yamunotri 875 was the limit fixed by the State. Therefore, this should be treated as the maximum limit on the basis of assumed carrying capacity.

9. Since the Counsel for State of Uttarakhand has assured the Tribunal that within two months the carrying capacity study will be done. Therefore, at this stage, we do not find any reason to consider the prayer made by learned Senior Counsel for the Applicant.



Handwritten signature

दिनांक 25.01.2024 को अपराह्न 12.00 बजे से अपर जिलाधिकारी महोदय चमोली की अध्यक्षता में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-561/2022 उर्वशी शोभना कछरी बनाम भारत संघ व अन्य में निर्णित आदेश दिनांक 05.01.2024 के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु आहूत समीक्षा बैठक कार्यवृत्त।

दिनांक 25.01.2024 को अपराह्न 12.00 बजे से अपर जिलाधिकारी, महोदय चमोली की अध्यक्षता में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-561/2022 उर्वशी शोभना कछरी बनाम भारत संघ व अन्य में निर्णित आदेश दिनांक 05.01.2024 के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु आहूत समीक्षा बैठक में उपस्थिति का विवरण :-

1. श्री राज कुमार पाण्डेय, उप जिलाधिकारी, चमोली/जोशीमठ।
2. श्री रवि शाह, तहसीलदार, जोशीमठ।
3. डा0 चित्रा धिमान, पशुचिकित्साधिकारी, चमोली।
4. श्री मातवरसिंह बिष्ट, प्रशासनिक अधिकारी, जिला पंचायत चमोली।
5. श्री शिशुपालसिंह, उप प्रभा0वनाधिकारी नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।
6. श्री चन्द्रशेखर चौहान, अध्यक्ष, ई0डी0सी0 भ्यूंडार।
7. श्री कैलाश चन्द्र मिश्रा, ए0डी0पी0आर0आर0ओ0 चमोली।
8. श्री ओम प्रकाश वर्मा, जिला पर्यटन चमोली।

बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में मा0 एन0जी0टी0 नई में योजित मूल आवेदन संख्या-561/2022 उर्वशी शोभना कछरी बनाम भारत संघ व अन्य में निर्णित आदेश दिनांक 05.01.2024 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न एजेन्डा बिन्दुओं पर विचार विमर्श उपरान्त निम्न निर्देश दिये गये।

श्री हेमकुण्ड साहिब ट्रेकिंग मार्ग :-

नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क वन प्रभाग, जोशीमठ के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में पुलना से श्रीहेमकुण्ड साहिब वाया घांघरिया धार्मिक पर्यटन तथा घांघरिया से फूलों की घाटी के लिये टैकिंग/पारिस्थितिक पर्यटन प्रति वर्ष माह जून से अक्टूबर तक संचालित किया जाता है। ई0डी0सी0 भ्यूंडार इसी क्षेत्र में काफी वर्ष से नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क वन प्रभाग, जोशीमठ और जिला पंचायत, चमोली के अन्तर्गत पर्यावरण के संरक्षण में कार्यरत हैं। पुलना से श्रीहेमकुण्ड ट्रेकिंग की लम्बाई 16 किमी0 तथा पुलना से फूलों की घाटी 13 किमी0 यात्रा ट्रेकिंग मार्ग है। हेमकुण्ड यात्रा मार्ग पर वैज्ञानिक तरीके से प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण, पर्याप्त मात्रा में शौचालय, घोड़े-खच्चरों की संख्या नियमित करने एवं पर्यावरण स्वच्छता हेतु जरूरी व्यवस्थाओं हेतु बैठक में संबंधितों को निर्देशित किया गया कि यात्रा मार्ग पर प्लास्टिक कूड़ा क्लेक्शन एवं एकत्रित कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से कॉम्पेक्टर मशीन के माध्यम से निस्तारण किया जाय तथा यात्रा मार्ग पर पर्याप्त मात्रा में शौचालयों एवं घोड़े-खच्चरों एवं यात्रियों हेतु पर्याप्त मात्रा में गरम पानी की व्यवस्था सुनिश्चित किये



Handwritten signature

जाने तथा प्लास्टिक बोतलों पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु बैठक में संबंधितों को कड़ें निर्देश निर्गत किये गये हैं।

(कार्यवाही:-उप वन संरक्षक नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चमोली/अध्यक्ष ई0डी0सी0 भ्यूंडार/जिला पंचायत, चमोली/जिला पर्यटन अधिकारी, चमोली)

प्लास्टिक एवं कूड़ा निस्तारण :-

गोबिन्दघाट से पुलना-घांघरिया-श्रीहेमकुण्ड साहिब तथा फूलों की घाटी ट्रैकिंग रूट होने के कारण ट्रैकिंग रूट पर 100 मी0 की दूरी पर कूड़ादान/डेस्टबीन लगाये लगाये जाने हेतु बैठक में संबंधितों को निर्देशित किया गया है। गोबिन्दघाट, पुलना, श्रीहेमकुण्ड आदि स्थानों के व्यवसायों/ दुकानदारों को प्लास्टिक से बनी सामग्री जैसे पानी की बोतल, प्लास्टिक पन्नी आदि को क्रय/उपयोग करने उपरान्त वापस किये जाने हेतु प्रोत्साहित किये जाने के साथ-साथ यात्रा ट्रैकिंग रूट पर आने वाले यात्रियों को प्लास्टिक से बनी सामग्री को जगह-जगह न फेंका जाय और जैविक अजैविक कूड़ा करकट प्लास्टिक, बोतलें एकत्रित कर डम्पिंग यार्ड, सालिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट, कम्पेक्टर मशीन आदि स्थानों में रखे जाने या बिक्री किये जाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु संबंधितों को बैठक में निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही:-अध्यक्ष ई0डी0सी0 भ्यूंडार/जिला पंचायत, चमोली/उप वन संरक्षक नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ/जिला पर्यटन अधिकारी, चमोली)

शौचालयों की स्थिति:-

बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, जिला पंचायत, चमोली द्वारा अवगत कराया है कि ई0डी0सी0 भ्यूंडार द्वारा घोड़े-खच्चरों की लीद का निस्तारण यात्रा रूट पुलना से श्रीहेमकुण्ड साहिब मार्ग पर बनाये गये 15 गोबर गढ़ों में डाला जा रहा है तथा घांघरिया में होटलों की अपनी स्वयं की सोक पिट प्रणाली से निपटान किया जा रहा है। साथ ही यात्रा रूट पर घोड़े-खच्चरों की लीद के निस्तारण हेतु डम्प पिट बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यात्रा ट्रैक पर पर्यटन विभाग द्वारा 06 सुलभ शौचालय सहित 21 शौचालयों बनाये गये हैं। जिनकी दैनिक साफ-सफाई ई0डी0सी0 भ्यूंडार के पर्यावरण मित्रों द्वारा नियमित रूप से की जाती है। बैठक में संबंधितों को निर्देशित किया गया है कि यात्रा रूट, होटलों एवं होमस्टे, सुलभ शौचालयों का विवरण उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही:-अध्यक्ष, ई0डी0सी0 भ्यूंडार/जिला पंचायत, चमोली/जिला पर्यटन अधिकारी, चमोली/समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद चमोली)

घोड़े-खच्चरों का पंजीकरण:-

श्रीहेमकुण्ड साहिब यात्रा में संचालित होने वाले घोड़ों-खच्चरों के मालिक, हॉकर, मजदूरों का यात्रा से पूर्व लाईसेंस और पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा और घोड़ा-खच्चरों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चमोली को निर्देशित किया गया है कि यात्रा पड़ावों पर मेडिकल/दवाईयों की कमी/दिक्कत नहीं होनी चाहिये तथा घोड़ा-खच्चरों की मृत्यु होने पर समय अन्दर पंचनामा करते हुये, घोड़े-खच्चरों की मृत्यु



होने पर उनको सुरक्षित स्थान पर रख कर बॉडी बैग से ढककर रखा जाय। जिस स्थान पर पशु मृत अवस्था में पाया जाता है। उक्त स्थान पर बड़े-बड़े गद्दे बना कर उसमें चूना, नमक, फिनायल डालकर मृत पशु को दफनाया जाय। घोड़े-खच्चरों व होंकर, मजदूरों आदि का बीमा किया जाना आवश्यक होगा। घोड़े-खच्चरों के स्वामियों को अध्यक्ष, ई0डी0सी0 भ्यूंडार के माध्यम से बीना किये जाने, यात्रा मार्ग पर घोड़े-खच्चरों, डण्डी, कण्डी का संचालन एवं उनके रहने एवं खाने की ब्यवस्था ई0डी0सी0 भ्यूंडार के माध्यम से जिला पंचायत चमोली द्वारा संचालित कर ई0डी0सी0 द्वारा पंजीकरण कर प्रवेश किया जायेगा और पूरे यात्रा मार्ग पर रोटेशन के माध्यम से ही घोड़े-खच्चरों का संचालन किया जायेगा। पुलना से घांघरिया के लिए और घांघरिया से हेमकुण्ड के लिये अलग-अलग घोड़े-खच्चरों की ब्यवस्था की जाय तथा रोटेशन, ब्यवस्था के चलते एक दिन यात्री ढोने के बाद दूसरे दिन घोड़े-खच्चरों को विश्राम करना होगा। घोड़े-खच्चरों के मल निस्तारण हेतु वन विभाग पूरे यात्रा मार्ग पर जगह-जगह पर डब्बे एवं रास्ते के किनारे नाली बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा घोड़े-खच्चरों हेतु चारे की ब्यवस्था स्वयं घोड़े-खच्चरों के मालिकों द्वारा की जायेगी।

(कार्य0:-अध्यक्ष, ई0डी0सी0 भ्यूंडार/उप वन संरक्षक नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चमोली/जिला पंचायत, चमोली/जिला पर्यटन अधिकारी, चमोली)

पानी की ब्यवस्था :-

गोविन्दघाट से पुलना-घांघरिया-श्रीहेमकुण्ड साहिब तथा फूलों की घाटी ट्रैकिंग रूट पर यात्रियों एवं घोड़े-खच्चरों हेतु यात्रा रूट पर पर्याप्त मात्रा में गरम पानी की ब्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु बैठक में संबंधितों को निर्देशित किया गया है।


(कार्यवाही:-अध्यक्ष, ई0डी0सी0 भ्यूंडार/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चमोली/जिला पंचायत, चमोली)

साईनेज बोर्ड:-

यात्रा ट्रैकिंग रूट हेमकुण्ड, पुलना, घांघरिया आदि स्थानों को जाने वाले रास्तों एवं शौचालयों, कूड़ेदानों, पानी इत्यादि पर साईन बोर्ड एवं डिजिटल साईनेज बोर्ड लगाये जाने हेतु बैठक में जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल ट्रैकिंग मार्गों पर साईनेज बोर्ड लगवाने की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु कड़े निर्देश निर्गत किये गये हैं।

(कार्यवाही :- जिला पर्यटन अधिकारी, चमोली)

बैठक में जिला पर्यटन अधिकारी, चमोली ने अवगत कराया है कि जनपद चमोली के (ग्रामीण क्षेत्रों में) अन्तर्गत 13 अतिथि-गृह (होम-स्टे) पंजीकृत है। जिनमें 63 कक्ष निर्मित हैं और कुल शैय्याओं की संख्या 137 हैं। स्थान घांघरिया, गोबिन्दघाट एवं भ्यूंडार में 15 होटलें संचालित है। जिनमें 253 कक्ष निर्मित है और कुल शैय्याओं की संख्या-738 है। बैठक में जिला पर्यटन अधिकारी, चमोली को निर्देशित किया गया है कि उक्त होम-स्टे एवं होटलों में कितने शौचालय निर्मित हैं, का विवरण तत्काल उपलब्ध कराये जाने, करीने कपसीटी के आधार पर गोबिन्दघाट-हेमकुण्ड साहिब में जितने यात्री/पर्यटक



[Handwritten signature]

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चमोली।

विषय:- मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-५६१/२०२२ उर्वशी कछरी बनाम भारत संघ व अन्य में निर्णित ओदश दिनांक ०५/०१/२०२४ के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी चमोली के पत्र संख्या १६०८/इक्कीस-एल०बी.सी. -१/२०२२-२३/दिनांक २०/०१/२०२४ के द्वारा उपलब्ध कराये गये मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या ५६१/२०२२ उर्वशी शोभना कछरी बनाम भारत संघ क्रम में पशुपालन विभाग से सम्बन्धित सूचना निम्नवत् प्रेषित की जा रही है-


पशुपालन विभाग जनपद चमोली द्वारा श्री हेमकुण्ड साहिब यात्रा के दौरान स्थान पुलना एवं घांघरिया में प्रत्येक वर्ष अस्थाई पशुचिकित्सालय/पशुनिगरानी चौकी की स्थापना की जाती हैं। जिनमें ०१ पशुचिकित्साधिकारी एवं ०१ पशुधन प्रसार अधिकारी की रोटेशन प्रक्रिया के आधार पर तैनाती की जाती है, जिनके द्वारा यात्रा मार्ग पर संचालित समस्त घोड़े खच्चरों की चिकित्सा, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा इत्यादि की सुविधा प्रदान की जाती है।

- १:- यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु शासनादेश संख्या ७५५/XV-1/23/1/(12)22/दिनांक ०१ मई २०२३ द्वारा जारी की गयी एस.ओ.पी० जिसमें श्री हेमकुण्ड यात्रा मार्ग में अनावश्यक पशुकूरता की सम्भावना के निवारण हेतु यात्रा मार्ग पर प्रति किलोमीटर अधिकतम ७० अश्ववंशीय पशुओं (कुल १५ कि०मी० की दूरी हेतु १०५० अश्ववंशीय पशु) की अधिकतम धारित क्षमता निर्धारित की गयी है। जिसका पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। संलग्न-एस.ओ.पी. का लिखित निम्नवत है:-
- १:- यात्रा मार्ग हेतु कुल ५०००(पाँच हजार) अश्ववंशीय पशु की क्षमता जिसमें ४०० (चार हजार) यात्रा हेतु एवं १०००(एक हजार) माल वाहन हेतु निर्धारित किया जाता है। प्रति किलोमीटर (आना-जाना) के लिए प्रति किलोमीटर लगभग २६३ अश्ववंशीय पशुओं (कुल १६ कि०मी० के यात्रा मार्ग हेतु ५००० अश्ववंशीय पशु) एवं हेमकुण्ड यात्रा मार्ग में अनावश्यक कूरता की संभावना के निवारण हेतु यात्रा मार्ग पर पशुओं को गुनगने पेयजल तथा रोड शैल्टर की उचित व्यवस्था हेतु प्रति किलोमीटर अधिकतम ७० अश्ववंशीय पशुओं (कुल १५ कि०मी० की दूरी हेतु १०५० अश्ववंशीय पशु) की अधिकतम क्षमता निर्धारित किया जाता है।
- २:- यात्रा मार्ग पर प्रत्येक पशु स्वामी द्वारा अधिकतम ०२ अश्ववंशीय पशु को संचालित किया जायेगा। प्रतिदिन एवं अश्ववंशीय पशु र से एक चक्कर लगाने की अनुमति होगी।



Handwritten signature

- ३- यात्रा मार्ग पर अत्यधिक कठिन परिस्थितियों एवं ठण्डे वातावरण में वर्षों, बर्फ, ओलावृष्टि के कारण अश्ववंशीय पशुओं में ज्वर, खांसी, दमा, न्यूमोनिया इत्यादि कके कारण अकाल मृत्यु से बचाव हेतु आवश्यक है कि पशुओं हेतु कुछ-२ दूरी पर अस्थायी रोड शैल्टर की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। पशु को पानी पिलाने के बाद, अनिवार्य रूप से कम से कम २० मिनट आराम दिया जायेगा।
- ४- यात्रा मार्ग पर यात्रा से पहले प्रत्येक पशु का भली प्रकार स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी होने पर अश्व पशुओं को यात्रा मार्ग पर परिवहन की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी।
- ५- यात्रा सीजन से पूर्व अश्ववंशीय पशुओं के स्वामियों द्वारा Glander परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट यात्रा से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा। Glander परीक्षण रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही अश्ववंशीय पशुओं को यात्रा में सम्मिलित किया जायेगा।
- ६- पंजीकृत पशुचिकित्सा अधिकारी के द्वारा अश्ववंशीय पशुओं के स्वामियों को स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट निर्गत किया जायेगा। जिसमें अश्ववंशीय पशुओं के कान पर Applied Ear Tag का नम्बर पशु का साइज, बजन, मुख्यतः दर्शाया जायेगा।
- ७- कतिपय पशुस्वामियों द्वारा अनियमितता बरते जाये की दशा में रोक लगाये जाने के उपरान्त भी पशुओं को यात्रामार्ग से हटाया नहीं जाता है। इन पशुओं के अतिशोषण के कारण मृत्यु होने पर पशुस्वामियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु पशुपालन विभाग एवं अन्य किसी कार्यदायी संस्था के मध्य सूचनाओं को आदान प्रदान हेतु नियमित रूप से समन्वयन समीक्ष बैठक आहूत किया जायेगा तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी को साफ्टवेयर एक्सेस दिया जायेगा।
- ८- कतिपय पशुस्वामियों द्वारा यात्रामार्ग में अन्य किसी कार्यदायी सस्था द्वारा आवंटित चिपस्ट्रैप उतारकर अन्य पशुओं पर अवैध उपयोग में लाये जा रहे हैं। इस अनियमितता की रोकथाम हेतु बेहतर प्रयास किया जायेगा।
- ९- यात्रा मार्ग के आधार पर शिविरों एवं मध्य मार्ग पर प्रत्येक रोड शैल्टर के निकट स्थायी अथवा अस्थायी पशु चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी। पशु चिकित्सालय पर पशुचिकित्सक(संविदा पर) तथा पैरावेट की नियुक्ति की जायेगी।
- १०- यात्रा मार्ग पर प्रयोग में लाए जाने वाले अश्ववंशीय पशुओं को कार्य में लिए जाने से पूर्व क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि के अनुसार न्यूनतम एक सप्ताह की अनुकूलन अवधि सुनिश्चित की जायेगी जिसमें कि पशु क्षेत्र के अनुसार अपने आप को ढाल सके।



Handwritten signature


- 99- जिला एस०पी०सी०ए० अथवा उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के कर्मिकों हेतु पशु कल्याण एवं प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित कानूनी प्राविधानों, मा० उच्च न्यायालयों, मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिये गये मार्गदर्शी ओदशों के प्रति जागरूकता हेतु संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। भारतीय सेना के अन्तर्गत रिमाउण्ट वेटनरी कॉर्पस तथा अर्धसैनिक बलों (यथा आई०टी०बी०पी०)के पशुचिकित्साविदों द्वारा भी पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त अश्ववंशीय पशुओं की चिकित्सा/प्रबन्धक हेतु कुछ विशेष चिकित्सा प्रक्रियाएँ/रीतियों अपनाई जाती हैं। पशुपालन विभाग के पशुचिकित्साविदों एवं सहयोग कर्मिकों हेतु इस विशेष प्रशिक्षण हेतु रिमाउण्ट वेटनरी कॉर्पस अथवा आई०टी०बी०पी० अथवा अश्व कल्याण हेतु विशेष पशु कल्याण संस्था-बूक्स इन्डिया में सेवारत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त पशुचिकित्साविदों के दिशा-निर्देशन में पी०एफ०ए० उत्तराखण्ड के अश्व अभ्यारण्य में अथवा अन्य स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे।
- 92- यात्रा मार्गों पर अत्यधिक कठिन एवं ठंडे बातावरण में अश्ववंशीय पशुओं की अकाल मृत्यु की दशा में महामारी फैलने तथा जल स्रोत के प्रदूषित होने की आशंका बनी रहती है। 24 घण्टे के भीतर मृत अश्ववंशीय पशुओं के शव निस्तारण से पूर्व शव विच्छेदन रिपोर्ट पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जाने के उपरान्त, मृत अश्ववंशीय पशुओं के शवों को कार्यदायी संस्था के माध्यम से जमीन के भीतर गहरा गाड़ दिया जाय अथवा शवदाह कर पशु देह का निस्तारण किया जाय। शवविच्छेदन रिपोर्ट में बिलम्ब की स्थिति में मृत अश्ववंशीय पशु के देह को ढक कर रखा जाय।
- 93- यात्रा के दौरान घायल/बीमार हुए अश्ववंशीय पशुओं को यात्रा मार्ग पर पुनः चलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। एक बार अश्वस्थ घोषित कर दिये जाने के उपरान्त यदि अश्ववंशीय पशु यात्रा मार्ग पर कार्य कर रहा है तो पशुस्वामी के लिए अर्थदण्ड एवं अनुज्ञा प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- 94- यदि पशुस्वामी द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी दशा में पशुस्वामी के विशुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।
- 95- पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता किये जाने अथवा अत्यधिक शोषण पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला एस.पी०सी०ए० में पदेन सदस्यों के रूप में सम्मिलित विभागों (पशुपालन विभाग, स्थानीय निकाय/जिला पंचायत, वन विभाग/प्रदूषण बोर्ड एवं पुलिस विभाग) के अधिकारियों के प्रतिनिधि कर्मिकों के दल में प्रान्तीय रक्षा दल/होम गार्ड्स के स्टाफ के सहयोग से यात्रामार्ग में दैनिक रूप से आवंटित अश्वटोकन की जाँच, अश्व संचालक टोकन की जाँच प्रत्येक पशु द्वारा चकों की संख्या की जाँच, घायल/रोगी पशुओं का चिन्हांकन कर भारवाहन से अलग किये जाने, पशु मृत्यु की



Rawat

दशा में पशुस्वामी की पहचान, शव निस्तारण की रीति की जाँच की जायेगी तथा अनियमितता मिलने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

- 96- तीर्थाटन मार्गों की मुख्य बस्ती/आधार शिविरों से 09 से 02 किमी दूरी पर पशुस्वामियों को किराये पर स्थायी अश्वशालाएँ उपलब्ध करायी जाय। इन आश्वशालाओं में बिजली एवं शरीर तापमान वाले गुनगुने पेयजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा मांग के अनुरूप उचित दरों पर पशुआहार एवं चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
- 97- यात्रा मार्गों पर टोल फ्री नम्बर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होने के कारण किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में सम्पर्क कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है। इस क्रम में टोल फ्री नम्बर को नेटवर्क एरिया से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय, जिससे यात्रियों एवं अश्वसंशयी पशु स्वामियों की किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकें।



ह०/पशुचिकित्साधिकारी,

प्रमाणित

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चमोली।

certified that Shri/Smt. Vinod Prakash
the deponent of the above case is R. R. R.
Sworn to by Govt. of India
Widely Accepted channel

D. S. Rawal
Advocate 3-3-2014
Gobeshwar, Chamoli
Res. No. 08/11/2003

Govt. of India
STRUCK COPY

प्रेषक,
राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1


देहरादून : दिनांक 01 अप्रैल 2023

विषय : यात्रा मार्गों पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु Standard Operating Procedure के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके ई पत्र संख्या 11390/2023/पशुधन-तीन/
प0क0बो0शि035(8)/2023-24 दिनांक 25.04.2023 के क्रम में यात्रा मार्गों पर अश्ववंशीय
पशुओं के संचालन हेतु निम्नवत् Standard Operating Procedure निर्धारित किया जाता
है :-

1. यात्रा मार्ग हेतु कुल 5000 (पाँच हजार) अश्ववंशीय पशु की क्षमता जिसमें 4000 (चार हजार) यात्रा हेतु एवं 1000 (एक हजार) माल वाहन हेतु निर्धारित किया जाता है। प्रति किलोमीटर (आना-जाना) के लिए प्रति किलोमीटर लगभग 283 अश्ववंशीय पशुओं (कुल 19 कि०मी० के यात्रामार्ग हेतु 5000 अश्ववंशीय पशु) एवं हेमकुण्ड यात्रामार्ग में अनावश्यक क्रूरता की संभावना के निवारण हेतु, यात्रा मार्ग पर पशुओं को गुनगुने पेयजल तथा शेड शील्टर की उचित व्यवस्था हेतु, प्रति किलोमीटर अधिकतम 70 अश्ववंशीय पशुओं (कुल 15 कि०मी० की दूरी हेतु 1,050 अश्ववंशीय पशु) की अधिकतम धारिता क्षमता निर्धारित किया जाता है।
2. यात्रा मार्ग पर प्रत्येक पशु स्वामी द्वारा अधिकतम 2 अश्ववंशीय पशु को संचालित किया जायेगा। प्रतिदिन एक अश्ववंशीय पशु से एक चक्कर लगाने की अनुमति होगी।
3. यात्रा मार्गों पर अत्यधिक कठिन परिस्थितियों एवं ठण्डे वातावरण में वर्षा, बर्फ, ओलावृष्टि के कारण अश्ववंशीय पशुओं में ज्वर, खांसी, दमा, न्यूमोनिया इत्यादि के कारण अकाल मृत्यु से बचाव हेतु आवश्यक है कि पशुओं हेतु कुछ-कुछ दूरी पर अस्थायी शेड शील्टर की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। पशु को पानी पिलाने के बाद, अनिवार्य रूप से कम से कम 20 मिनट आराम दिया जायेगा।
4. यात्रा मार्ग पर यात्रा से पहले प्रत्येक पशु का भली प्रकार स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी होने पर अश्व पशुओं को यात्रा मार्गों पर परिवहन की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी।



Rawal

- 5 यात्रा सीजन से पूर्व अश्ववंशीय पशुओं के स्वामियों द्वारा Glander परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट यात्रा से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा। Glander परीक्षण रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही अश्ववंशीय पशुओं को यात्रा में सम्मिलित किया जायेगा।
- 6 पंजीकृत पशुचिकित्सा अधिकारी के द्वारा अश्ववंशीय पशुओं के स्वामियों को स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट निर्गत किया जायेगा, जिसमें अश्ववंशीय पशुओं के कान पर Applied Ear Tag का नम्बर, पशु का साइज, वजन, मुख्यतः दर्शाया जायेगा।
7. कतिपय पशुस्वामियों द्वारा अनियमितता बरते जाने की दशा में रोक लगाये जाने के उपरान्त भी पशुओं को यात्रामार्ग से हटाया नहीं जाता है। इन पशुओं के अतिशोषण के कारण मृत्यु होने पर पशुस्वामियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु पशुपालन विभाग एवं अन्य किसी कार्यदायी संस्था के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान हेतु नियमित रूप से समन्वयन समीक्षा बैठक आहूत किया जायेगा तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी को साफ्टवेयर एक्सेस दिया जायेगा।
8. कतिपय पशु स्वामियों द्वारा यात्रामार्ग में अन्य किसी कार्यदायी संस्था द्वारा आबटित चिपस्ट्रैप उतारकर अन्य पशुओं पर अवैध उपयोग में लाये जा रहे हैं। इस अनियमितता की रोकथाम हेतु बेहतर प्रयास किया जायेगा।
9. यात्रा मार्ग के आधार शिविरों एवं मध्य मार्ग पर प्रत्येक शेड शैल्टर के निकट स्थायी अथवा अस्थायी पशु चिकित्सालय की स्थापना कि जायेगी। पशु चिकित्सालय पर पशुचिकित्सक (संविदा पर) तथा पैरावेट की नियुक्ति की जायेगी।
10. यात्रा मार्ग पर प्रयोग में लाए जाने वाले अश्ववंशीय पशुओं को कार्य में लिए जाने से पूर्व क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि के अनुसार न्यूनतम एक सप्ताह की अनुकूलन अवधि सुनिश्चित की जायेगी जिससे कि पशु क्षेत्र के अनुसार अपने आप को ढाल सकें।
11. जिला एस०पी०सी०ए० अथवा उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के कार्मिकों हेतु पशु कल्याण एवं प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित कानूनी प्राविधानों, मा० उच्च न्यायालयों, मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिये गये मार्गदर्शी आदेशों के प्रति जागरूकता हेतु संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। भारतीय सेना के अन्तर्गत रिमाउण्ट वेटनरी कॉर्पस तथा अर्धसैनिक बलों (यथा आई०टी०बी०पी०) के पशुचिकित्साविदों द्वारा भी पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त अश्ववंशीय पशुओं की चिकित्सा/प्रबन्धन हेतु कुछ विशेष चिकित्सा प्रक्रियाएँ/रीतियाँ अपनाई जाती हैं। पशुपालन विभाग के पशुचिकित्साविदों एवं सहयोगी कार्मिकों हेतु इस विशेष प्रशिक्षण हेतु रिमाउण्ट वेटनरी कॉर्पस अथवा आई०टी०बी०पी० अथवा अश्व कल्याण हेतु विशेषज्ञ पशु कल्याण संस्था-बुक्स इन्डिया में सेवारत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त पशुचिकित्साविदों के विज्ञान-निर्देशन में पी०एफ०ए० उत्तराखण्ड के अश्व अभ्यारण्य में अथवा अन्य स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे।
12. यात्रा मार्गों पर अत्यधिक कठिन एवं छप्पे वातावरण में अश्ववंशीय पशुओं की अकाम मृत्यु की दशा में महामारी फैलने तथा जल स्रोतों के प्रदूषित होने की आशंका बनी रहती है। 24 घण्टे के भीतर मृत अश्ववंशीय पशुओं के शव निस्तारण से पूर्व शवविच्छेदन रिपोर्ट पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जाने के उपरान्त, मृत अश्ववंशीय पशुओं के स्वामियों को कार्यदायी संस्था के माध्यम से जमीन के भीतर गहरा गाड़ दिया जाय अथवा



Rawat

शवदाह कर पशु देह का निस्तारण किया जाय। शवविच्छेदन रिपोर्ट में विलम्ब की स्थिति में मृत अश्ववंशीय पशु को देह को डक कर रखा जाय।

13. यात्रा के दौरान घायल/ बीमार हुए अश्ववंशीय पशुओं को यात्रा मार्ग पर पुनः चलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। एक बार अश्वस्था घोषित कर दिये जाने के उपरान्त यदि अश्ववंशीय पशु यात्रा मार्ग पर कार्य कर रहा है तो पशुस्वामी के लिए अर्धदण्ड एवं अनुज्ञा प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

14. यदि पशुस्वामी द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी दशा में पशुस्वामी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।

15. पशुओं की प्रति अनावश्यक क्रूरता किये जाने अथवा अत्यधिक शोषण पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने हेतु, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला एस०पी०सी०ए० में घटने सदस्यों के रूप में सम्मिलित विभागों (पशुपालन विभाग, स्थानीय निकाय/जिला पंचायत, वन विभाग/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पुलिस विभाग) के अधिकारियों के प्रतिनिधि कार्मिकों के दल में प्रान्तीय रक्षा दल/होम गार्ड्स के स्टाफ के सहयोग से, यात्रा मार्ग में दैनिक रूप से आवंटित अश्वटोकन की जाँच, अश्व संचालक टोकन की जाँच, प्रत्येक पशु द्वारा चक्री की संख्या की जाँच, घायल/रोगी पशुओं का चिन्हांकन कर भारवाहन से अलग किये जाने, पशु मृत्यु की दशा में पशुस्वामी की पहचान, शव निस्तारण की रीति की जाँच की जायेगी तथा अनियमितता मिलने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

16. तीर्थाटन मार्गों की मुख्य बस्ती/आधार शिविरों से 1 से 2 किमी दूरी पर पशुस्वामियों को किराये पर स्थायी अश्वशालाएँ उपलब्ध करायी जाय। इन अश्वशालाओं में बिजली एवं शरीर तापमान वाले गुनगुने पेयजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा मांस के अनुरूप उचित दरों पर पशुआहार एवं चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

17. यात्रा मार्गों पर टोल फ्री नम्बर नेटवर्क शोच से बाहर होने के कारण किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में सम्पर्क कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है। इस क्रम में टोल फ्री नम्बर को नेटवर्क एरिया से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय, जिससे यात्रियों एवं अश्ववंशीय पशु स्वामियों की किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त Standard Operating Procedure का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Signed by Rajendra Kumar Bhatt


Date: 01-05-2023 18:49:33

संयुक्त सचिव।

संख्या- 725 /XV-I/23/4(12)22 तपविर्वाकित।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलाधिकार, गढ़वाल/कुमाँऊ, उत्तराखण्ड।
2. जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. अवर निदेशक, सूचना महानिदेशालय।
4. अवर निदेशक, पशुपालन, गढ़वाल/कुमाँऊ, उत्तराखण्ड।



Handwritten signature

Handwritten signature: Rajendra Kumar Bhatt

Handwritten signature: Rajendra Kumar Bhatt

Handwritten signature: Rajendra Kumar Bhatt

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्णप्रयाग, चमोली।


मा०एन०जी०टी के सन्दर्भ में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्णप्रयाग, चमोली के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन परिवहन विभाग चमोली के सम्बन्ध में/एक्शन प्लान सम्बन्धी सूचना निम्नवत् है:-

- १:- विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों की संख्या (यात्रियों की सिमित संख्या) निर्धारण के व्यवस्था की है। जिसके अन्तर्गत चारधाम में आने वाले प्रत्येक यात्री को पर्यटन विभाग की वेबसाईट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तथा चारधाम यात्रा हेतु आने वाले वाहनों Trip card लाना अनिवार्य है। यात्रियों की संख्या का निर्धारण होने के पश्चात परिवहन विभाग द्वारा पुलिस विभाग की सहायता से बिना Trip card वाले वाहनों के संचालन को प्रतिबन्धित किया जा सकेगा। उदाहरण के लिये यदि पर्यटन विभाग की वेबसाईट पर किसी विशिष्ट तिथि को ५००० यात्रियों पंजीकृत हैं तो बिना Trip card वाले वाहनों को रोका जा सकेगा।
- २:- बद्रीनाथ धाम के कुछ ऐसे भी यात्री आते हैं जो हेमकुण्ड साहिब एवं फूलों की घाटी में भी भ्रमण हेतु जाते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं/पर्यटकों की सीमित संख्या का निर्धारण वन विभाग एवं पुलिस विभाग (जिन विभागों की जॉच चौकियां सम्बन्धित मार्गों पर स्थापित हैं) के द्वारा किया जा ससेगा। इसके अतिरिक्त हैली सेवा उपलब्ध कराने वाली कम्पनियों के द्वारा भी उपरोक्त Trip card के मानकों का पालन अनिवार्य किया जायेगा।
- ३:- परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के सार्वजनिक वाहनों के चालकों सहित सामान्य जनता को भी पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता प्रदान की जाती है। परिवहन विभाग द्वारा सार्वजनिक यात्री वाहनों में स्टीकर, डस्टबीन एवं डस्टबैग लगाकर पर्यावरण हेतु जागरूक किया जायेगा।

ह०/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्णप्रयाग

प्रमाणित

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चमोली।



(Handwritten signature)

कार्यालय सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी कर्णप्रयाग, चमोली

ई-मेल-artokar-trans-uk@nic.in

पत्राक- /सा0प्रशा0/2024

दिनांक : फरवरी, 2024

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चमोली।


विषय- मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-561/2022 उर्वशी शोभना कछारी बनाम भारत संघ व अन्य में निर्णित आदेश दिनांक 05-01-2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय की ओर प्रतिशपथ पत्र तैयार करते हुए मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 2617/नौ-एक/2023-24 दिनांक 06-02-2024 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में परिवहन विभाग, चमोली के सम्बन्ध आख्या/एक्शन प्लान सम्बन्धी सूचना निम्नवत् है -

1. विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों की संख्या (यात्रियों की सिमित संख्या) निर्धारण के की व्यवस्था की है। जिसके अन्तर्गत चारधाम में आने वाले प्रत्येक यात्री को पर्यटन विभाग की वेबसाईट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तथा चारधाम यात्रा हेतु आने वाले वाहनों को Trip Card लाना अनिवार्य है। यात्रियों की संख्या का निर्धारण होने के पश्चात परिवहन विभाग द्वारा पुलिस विभाग की सहायता से बिना Trip Card वाले वाहनों के संचालन को प्रतिबन्धित किया जा सकेगा। उदाहरण के लिये यदि पर्यटन विभाग की वेबसाईट पर किसी विशिष्ट तिथि को 5000 यात्रियों पंजीकृत हैं तो बिना Trip Card वाले वाहनों को रोका जा सकेगा।
2. बद्रीनाथ धाम में कुछ ऐसे भी यात्री आते हैं जो हेमकुण्ड साहिब एवं फूलों की घाटी में भी भ्रमण हेतु जाते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं/पर्यटकों की सीमित संख्या का निर्धारण वन विभाग एवं पुलिस विभाग (जिन विभागों की जाँच चौकियां सम्बन्धित मार्गों पर स्थापित हैं) के द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त हैली सेवा उपलब्ध कराने वाली कम्पनियों के द्वारा भी उपरोक्त Trip Card के मानकों का पालन अनिवार्य किया जायेगा।
3. परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रमों में सार्वजनिक वाहनों के चालकों सहित सामान्य जनता को भी पर्यावरण सम्बन्धी जागरुकता प्रदान की जाती है। परिवहन विभाग द्वारा सार्वजनिक यात्री वाहनों में स्टीकर, डस्टबीन एवं डस्टबैग लगाकर पर्यावरण हेतु जागरुक किया जायेगा।

1



505

अतः परिवहन विभाग से सम्बन्धित आख्या/एक्शन प्लान इस आशय से अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है कि जिलाधिकारी महोदय, चमोली की ओर से मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने वाले शपथ पत्र में आख्या सम्मिलित करना चाहें।

Signed by Jyoti Shankar


Date: 17-02-2024 11:29:02

(ज्योति शंकर मिश्र)

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
कर्णप्रयाग, चमोली।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली।
2. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी।



(ज्योति शंकर मिश्र)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
कर्णप्रयाग, चमोली।

Sworn that Shri/Smt. Jyoti Shankar
The deponent Rawal
Sworn at Karnaprayag on 17-02-2024
Signature: Accepted on demand
Date: 17-02-2024
Signature: [Signature]
Secretary, Chamber
of the RTO, Pauri

Rawal
STRIVE COPY

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा मूल ओवदन संख्या-५६१/२०२२ उर्वशी शोभना कछारी बनाम भारत संघ में पारित ओदश के अनुपालन में बैठक में प्रस्तावित बिन्दुओं के सम्बन्ध में।

नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क वन प्रभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में पुलना से हेमकुण्ड साहिब वाया घांघरिया धार्मिक पर्यटन तथा घांघरिया से फूलों की घाटी के लिये ट्रैकिंग/पारिस्थितिक पर्यटन प्रति वर्ष माह जून से अक्टूबर तक संचालित किया जाता है। इको विकास समिति, भ्यूंडार इसी क्षेत्र में २००२-२००३ से नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क वन प्रभाग जोशीमठ के अधीन संचालित किया जा रहा है।

१:- पुलना घांघरिया श्री हेमकुण्ड साहिब तथा घांघरिया फूलों की घाटी ट्रैकिंग रूट पर यात्रा काल में घोड़े खच्चर डण्डी-कण्डी का संचालन जिला पंचायत चमोली के निर्देशन में ई०डी०सी० भ्यूंडार द्वारा किया जा रहा है सम्पूर्ण यात्रा मार्ग पर व ट्रैकिंग रूट पर ई०डी०सी० द्वारा ६० पर्यावरण मित्र प्रतिदिन योजित किये जाते हैं यात्रा मार्ग पर टूरिस्टों द्वारा विक्षेपित समस्त अजैविक कूड़ा करकट प्लास्टिक बोतलों आदि एकत्रित कर घांघरिया स्थित डम्पिंग यार्ड में स्क्रेप मशीन में कटिंग ग्राइंडिंग और बाकी पुलना में डम्पिंग यार्ड में कॉम्पैक्टर मशीन हेतु रिसाइकिलिंग के लिए दिया जाता है, तथा पुलना में कॉम्पैक्टर मशीन पर ईको विकास समिति पुलना भ्यूंडार द्वारा बेल बनाई जा रही है घांघरिया बाजार के लिए ईको विकास समिति द्वारा ०२ (दो) RVM (Reverse vending machine) लगाई गई है जिनमें यात्री और पर्यटन स्वयं अपनी प्लास्टिक बोतल को डाल कर क्रश कर सकते हैं इन दोनों मशीनों का प्रयोग की उपयोगिता को देखते हुए भविष्य में भी RVM लगाई जाएंगी जिस से प्लास्टिक बोतल का कचरा कम से कम होने में मदद मिलेगी।


२- ई०डी०सी० पुलना भ्यूंडार द्वारा यात्रा मार्ग पर रोटेशन के आधार पर घोड़े खच्चर व डण्डी-कण्डी का संचालन किया जाता है। पशु पालन विभाग चमोली द्वारा स्थान पुलना व घांघरिया में ०२ (दो) टीमे तैनात रहती है जो घोड़े खच्चरों का टीकाकरण व पशु चिकित्सा उपचार का पशुपालन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है आकस्मिक रूप से घोड़े व खच्चर की मृत्यु होने पर उसका पी०एम० घोड़े मालिक व ई०डी०सी०, घोडा, खच्चर यूनियन, ग्राम भ्यूंडार आदि द्वारा क्षेत्र में तैनात पशु चिकित्सक से करवाकर समिति पंचानामा बना कर समिति के कार्यरत पर्यावरण मित्रों द्वारा विधिवत मिट्टी के अन्दर दबाकर मृत शव का डिस्पोजल करती है तथा घालय पशुओं का उपचार ई०डी०सी० क्षेत्र में तैनात पशु पालन विभाग की टीम के सहयोग से करती है अधिक यात्रा मार्ग पैदल होने के कारण शव निस्तारण के लिए कोई एक नियत जंगल तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है इसलिए शव के निस्तारण लिए उसके मृत शरीर को यात्रा मार्ग से दूर जंगल में गड़डा करके



Handwritten signature

निस्तारित किया जाता है जिसके लिए ईडीसी के पर्यावरण मित्र सहयोग करते हैं और चूना, फिनालय, नमक डाल, कर शव को दफनाया जात है पूरा मार्ग हिमालयन भालू से भरा हुआ है जिस कारण एक सप्ताह तक उस जगह पर समय-समय पर निगरानी रखी जाती है कि कहीं किसी भालू ने शव को बाहर तो नहीं निकल लिया है, यात्रा मार्ग पर कर्यरत पर्यावरण मित्रों का जिम्मेदारी सौपी गई है।

- ३:- यात्रा २०२३-२४ हेतु यात्रियों का जागरूक किये जाने हेतु डिस्ट्रे बोर्ड बना दिए गए हैं ताकि यात्री और पर्यटक पर्यावरण ओर आस पास के वातावरण के प्रति संवेदनशील रहे, यात्री और मालवाहक जानवरों के प्रति सहानुभुति और उनकी देख रेख हेतु भी निर्देश बना दिए गए है ताकि यात्रा करते समय यात्री स्वयं भी इनका ध्यान रखें भ्यूंडार घाटी की सुन्दरता और उस घाटी से संबन्धित डिस्ट्रे बोर्डस भी पूरे यात्रा मार्ग पर लगाये गए है।
- ४:- जिला पंचायत, चमोली के निर्देशन में ई०डी०सी० भ्यूंडार द्वारा सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट के अतिरिक्त छोटे खच्चरों के मल हेतु रास्ते के किनारे १५ गड्डे का निर्माण किया गया है पुराने बने हुए गड्डों को भी खाली करवाकर प्रयोग हेतु बना दिया गया है दुर्गन्ध से मुक्त के लिए ओ०सी०डी०-५० (आर्गेनिक सोल्यूशन) और समय समय पर ब्लीचिंग और रोज फिनालय का छिडकाव किया जाता है, जिस हेतु पर्यावरण मित्रों को से सब उनके प्रयोग हेतु घांघरिया कार्यालय से दिया जाता है।
- ५:- यात्रा मार्ग पर छोड़े खच्चरों, डंडी, कंडी आदि के संचालन हेतु बैरियर्स और ई०डी०सी० के कर्मचारी नियुक्त रहते है सभी छोड़े, खच्चर संचालको और मालिकों को whatsapp ग्रुप बना कर आपस में तालमेल बनाने का निर्देश दे दिया गया है, यात्रा शुरू होने से पहले पंजीकरण होने के बाद ये ग्रुप बना दिया जाता है।
- ६:- यात्रा मार्ग पर छोड़े, खच्चर डण्डी, काण्डी का संचालन ई०डी०सी० पुलना भ्यूंडार के माध्यम से जिला पंचायत चमोली द्वारा संचालित है। ई०डी०सी० द्वारा पंजीकरण कर प्रवेश दिया जाता है और पूरे यात्रा मार्ग पर रोटेशन के माध्यम से ही छोड़े खच्चरों का संचालन किया है। २०२४ यात्रा काल के लिए निर्धारित छोड़े, प्रति किलोमीटर को पूरी तरह से लागू किया जायेगा जो २०२३ यात्रा ममें ७५ छोड़े प्रति किलोमीटर निर्धारित था, जिसके सम्बन्ध में सभी छोड़ा, खच्चरा मालिकों और संचालकों को पहले से ही अवगत कार दिया गया है, स्वस्थ और पैदल चलने में समर्थ यात्रियों को छोड़, खच्चर से यात्रा न करने के लिए समुचित निर्देश हेतु बोर्ड बनाए गए है जो यात्रा मार्ग के शुरू में और छोड़ा खच्चर कांउटर पर भी लगा लिए जाते है पशु क्रुरता सम्बन्धित निर्देश भी यात्रियों हेतु बनायसे गए है, और




[Handwritten Signature]

निर्देशित किया गया है कि कोई भी संचालक यदि चलते समय या रुके हुए में घोड़, खच्चर की लाठी डंडों से मारता, पीटता है तो उसे ऐसा करने से रोकें, विरोध ओर इस पाप के भागीदार न बने। महोदय आपके सूचनार्थ है कि पुलना से घांघरिया के लिए और घांघरिया से हेमकुण्ड के लिए अलग-अलग घोड़, खच्चर की व्यवस्था है अगर कोई यात्री घोड़े से सीधा पुलना से हेमकुण्ड भी जाना चाहे तो उसे घांघरिया में अपना धोडा बदलना पड़ता है जिस कारण उच्च हिमालयों क्षेत्र में ढला हुआ घोड़ा ही घांघरिया से हेमकुण्ड के लिए जाता है, रोटेशन व्यवस्था के चलते एक दिन सवारी ढोने के बाद दूसरे दिन धोडे खच्चरों का विश्राम मिल जाता है।

७:- यात्रा मार्ग पर घोड़े, खच्चरों के पीने के पानी की व्यवस्था हेतु नई चरियों बनाई गई है और पुरानी चरियों का मरम्मत का कार्य जारी है, तीन निर्धारित स्थानों पर पुलना, भ्यूंडार और घांघरिया में चरियों के साथ जल संस्थान द्वारा गरम पानी के गीजर लगे है, जल संस्थान द्वारा ही सभी चरियों को स्टैंड पोस्ट द्वारा यात्रा शुरू होने से पहले जोड़ा जाता है।

८:- एक सुझाव :- यात्रियों , पर्यटकों और स्थानीय जन मानस में पर्यावरण, लोक भावनाओं, लोक परम्पराओं आदि के प्रति जागरूक करने में हेमवती नन्दन गढ़वाल विश्वविद्यालय सहयोग कर सकता है, वहाँ पर्वतीय पर्यटन एवं आतिथ्य अध्ययन केन्द्र (पर्यटन विभाग) के अन्तर्गत सैर सलीका नाम से काफी वर्षों से छात्रों में ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जो इस वर्ष से सभी विद्यालयों से एन०एस०एस० के अन्तर्गत जारी रखा जा रहा है। इस सैर सलीका के अन्तर्गत ही विद्यालयों के माध्यम से अगर सभी यात्रा मार्गों पर जागरूकता सम्बन्धी कार्यशालाओं और पर्यावरण, लोक भावनाओं, लोक परम्पराओं आदि सम्बन्धित अध्ययन रिसर्च किया जा सकता है तो इस से काफी कुछ बदलाव सामाजिक दृष्टि से आ सकता है।



ह०/ईको विकास

प्रमाणित

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चमोली।

hurdle

प्रेषक,
अध्यक्ष
इको विकास समिति, भ्युंडार

दिनांक: 2 Feb 2024
पत्रांक: Report-03-2024/ Feb/NGT

सेवा में,
जिलाधिकारी, चमोली।

विषय:- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या -561/2022 उर्वशी शोभना कछारी बनाम भारत संघ में पारित आदेश के अनुसार बैठक में प्रस्तावित बिन्दुओं के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- अपर जिला अधिकारी कार्यालय चमोली की 25 जनवरी 2024 के बैठक में प्रस्तावित बिन्दु,
महोदय,


उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा उर्वशी शोभना बनाम भारत संघ में पारित निर्णय आदेश दिनांक- 1/मई/2023 की अनुपालन आख्या के अनुसार आपको अवगत करना है कि -

नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क वन प्रभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में पुलना से हेमकुण्ड साहिब वाया घांघरिया धार्मिक पर्यटन तथा घांघरिया से फूलों की घाटी के लिये ट्रेकिंग/पारिस्थितिक पर्यटन प्रति वर्ष माह जून से अक्टूबर तक संचालित किया जाता है। इको विकास समिति, भ्युंडार इसी क्षेत्र में 2002-2003 से नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क वन प्रभाग और जिला पंचायत चमोली के अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण में कार्यरत है।

1- पुलना-घांघरिया-श्री हेमकुण्ड साहिब तथा घांघरिया फूलों की घाटी ट्रेकिंग रूट पर यात्रा काल में घोड़े खच्चर डण्डी-कण्डी का संचालन जिला पंचायत चमोली के निर्देशन में ई०डी०सी० भ्युंडार द्वारा किया जा रहा है सम्पूर्ण यात्रा मार्ग पर व ट्रेकिंग रूट पर ई०डी०सी० द्वारा 60 पर्यावरण मित्र प्रतिदिन योजित किये जाते हैं। यात्रा मार्ग पर टूरिस्टों द्वारा विक्षेपित समस्त अजैविक कूड़ा कचरा प्लास्टिक बोतलों आदि एकत्रित कर घांघरिया स्थित डम्पिंग यार्ड में स्क्रेप मशीन में कटिंग ग्राइंडिंग और बाकी पुलना में डम्पिंग यार्ड में कॉम्पैक्ट मशीन हेतु लाया जाता है। पुलना में कम्पैक्टर मशीन ने सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दिया है घांघरिया बाजार के लिए दो (2) RVM (Reverse Vending Machine) लगाई गई हैं, जिनमें घात्री और पर्यटक स्वयं अपनी प्लास्टिक बोतल को डाल कर क्रश कर सकते हैं। इन दोनों मशीनों का प्रयोग की उपयोगिता को देखते हुए भविष्य में और भी RVM लगाई जाएंगी जिस से प्लास्टिक बोतल का कचरा कम से कम होने में मदद मिलेगी।

2- ई०डी०सी० द्वारा यात्रा मार्ग पर गेटेशन के आधार पर घोड़े खच्चर व डण्डी-कण्डी का संचालन किया जाता है। पशु पालन विभाग चमोली द्वारा स्थान पुलना व घांघरिया में 2 (दो) टीम तैनात रहती है जो घोड़े खच्चरों का टीकाकरण व पशु चिकित्सा उपचार का कार्य संचालित करती है। आकस्मिक रूप से किसी घोड़े व खच्चर की मृत्यु होने पर उसका P.M. घोड़े मालिक व ई०डी०सी०, घोड़ा खच्चर यूनियन, ग्राम प्रधान भ्युंडार आदि द्वारा क्षेत्र में तैनात पशु चिकित्सक से करवाकर समिति पंचानामा बना कर समिति के कार्यरत पर्यावरण मित्रों द्वारा विधिवत मिट्टी के अन्दर दबाकर मृत शव का डिस्पोजल करती है तथा घायल पशुओं का उपचार ई०डी०सी० क्षेत्र में तैनात पशु पालन विभाग की टीम के सहयोग से करती है। ज्यादातर यात्रा मार्ग पैदल होने के कारण शव निस्तारण के लिए कोई एक नियत जगह तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इस लिए शव के निस्तारण लिए उसके मृत शरीर को यात्रा मार्ग से दूर जंगल में गड़ड़ा कर के निस्तारित किया जाता है, जिसके लिए EDC के पर्यावरण मित्र सहयोग करते हैं और चूना, फिनाथल, नमक डाल कर शव को दबा देते हैं। पूरा मार्ग हिमालयन भालू से भरा हुआ है जिस कारण एक सप्ताह तक उस जगह पर समय समय पर निगरानी रखी जाती है कि कहीं किसी भालू ने शव को बाहर तो नहीं निकल लिया है। यात्रा मार्ग पर कार्यरत पर्यावरण मित्र को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है।

3- यात्रा 2023-24 हेतु यात्रियों के निर्देश हेतु डिस्पले बोर्ड बना दिए गए हैं जिनमें यात्रा मार्ग सम्बन्धी निर्देश दिए गए हैं ताकि यात्री और पर्यटक पर्यावरण और आस पास के वातावरण के प्रति सचेतनाशील रहे। यात्री और मालवाहक जानवरों के प्रति सहानुभूति और उनकी देख रेख हेतु भी निर्देश बना दिए गए हैं ताकि यात्रा करते समय यात्री स्वयं भी इनका ध्यान रखें, भ्युंडार घाटी की सुन्दरता और उस घाटी से संबन्धित डिस्पले बोर्ड्स भी पूरे यात्रा मार्ग पर लगाये गए हैं।



Rawal

4- चमोली जिला पंचायत के निर्देशन में ई०डी०सी० भ्यूंडार द्वारा सालिए बेस्ट मैनेजमेंट के अतिरिक्त घोड़े खच्चरों के मल हेतु रास्ते के किनारे 15 गड्डों का निर्माण किया गया है. पुराने बने हुए गड्डों को भी खाली करवाकर प्रयोग हेतु बना दिया गया है. दुर्गन्ध से मुक्ति के लिए **OCD-50 (आर्गेनिक सोल्यूशन)** और समय समय पर ब्लीचिंग और गोज फिनायल का छिड़काव किया जाता है, जिस हेतु पर्यावरण मित्रों को ये सब उनके प्रयोग हेतु घाघरिया कार्यालय से दिया जाता है.

5- यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों, डंडी कंडी आदि के संचालन हेतु बैरियर्स और EDC के कर्मचारी नियुक्त रहते हैं. सभी घोड़ा खच्चर संचालकों और मालिकों को whatsapp ग्रुप बना कर आपस में तालमेल बनाने का निर्देश दे दिया गया है. यात्रा शुरू होने से पहले पंजीकरण होने के बाद ये ग्रुप बना दिया जाता है.



6- यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चर डण्डी, कण्डी का संचालन ई०डी०सी० के माध्यम से जिला पंचायत चमोली द्वारा संचालित है। ई०डी०सी० द्वारा पंजीकरण कर प्रवेश दिया जाता है और पूरे यात्रा मार्ग पर गेटेशन के माध्यम से ही घोड़े खच्चरों का संचालन किया है। 2024 यात्रा काल के लिए निर्धारित घोड़े प्रति किलोमीटर को पूरी तरह से लागू किया जावेगा, जो 2023 यात्रा में 75 घोड़े प्रति किलोमीटर निर्धारित था, जिसके सम्बन्ध में सभी घोड़ा-खच्चर मालिकों और संचालकों को पहले से ही अवगत कर दिया गया है. स्वस्थ और पैदल चलने में समर्थ यात्रियों को घोड़े खच्चर से यात्रा न करने के लिए समुचित निर्देश हेतु बोर्ड बनाए गए हैं, जो यात्रा मार्ग के शुरू में और घोड़ा खच्चर काउंटर पर भी लगा लिए जाते हैं. पशु क्रूरता सम्बन्धित निर्देश भी यात्रियों हेतु बनाये गए हैं, और निर्देशित किया गया है कि कोई भी संचालक यदि चलते समय या रुके हुए में घोड़ा-खच्चर को लाठी डंडों से मारता-पीटता है तो उसे ऐसा करने से रोकें, विरोध करें और इस पाप में भागीदार न बने. महोदय, आपके सूचनार्थ है कि **पुलना से घाघरिया के लिए और घाघरिया से हेमकुण्ड के लिए अलग अलग घोड़े-खच्चर की व्यवस्था है. अगर कोई यात्री घोड़े से सीधा पुलना से हेमकुण्ड भी जाना चाहे तो उसे घाघरिया में अपना घोड़ा बदलना पड़ता है जिस कारण उच्च हिमालयी क्षेत्र में ढला हुआ घोड़ा ही घाघरिया से हेमकुण्ड के लिए जाता है. गेटेशन व्यवस्था के चलते एक दिन सवांगी होने के बाद दूसरे दिन घोड़े खच्चरों को विश्राम मिल जाता है।**

7- यात्रा मार्ग पर घोड़े-खच्चरों के पीने के पानी की व्यवस्था हेतु नई चरियाँ बनाई गई हैं और पुरानी चरियों का मरम्मत का कार्य जारी है. तीन निर्धारित स्थानों पर पुलना, भ्यूंडार और घाघरिया में चरियों के साथ जल संस्थान द्वारा गरम पानी के गीजर लगे हैं. जल संस्थान द्वारा ही सभी चरियों को स्टैंड पॉम्प द्वारा यात्रा शुरू होने से पहले जोड़ा जाता है.

8- **एक सुझाव:** यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय जन मानस में पर्यावरण, लोक भावनाओं, लोक परम्पराओं आदि के प्रति जागरूक करने में हेमवती नन्दन गढ़वाल विश्वविद्यालय सहयोग कर सकता है. वहां पर्वतीय पर्यटन एवं आतिथ्य अध्ययन केन्द्र (पर्यटन विभाग) के अन्तर्गत सैर सलीका नाम से काफी वर्षों से छात्रों में ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जो इस वर्ष से सभी विद्यालयों में NSS के अन्तर्गत जारी रखा जा रहा है. इस सैर सलीका के अन्तर्गत ही विद्यालयों के माध्यम से अगर सभी यात्रा मार्गों पर जागरूकता सम्बन्धी कार्यशालाओं और पर्यावरण, लोक भावनाओं, लोक परम्पराओं आदि सम्बन्धित अध्ययन रिसर्च किया जा सकता है तो इस से काफी कुछ बदलाव सामाजिक दृष्टि से आ सकता है. आने वाली नई पीढ़ी सैर सलीका से जुड़ कर कैसे सैर करना है वो सीखेगी और जहाँ भी जाएगी वहाँ औरों को भी सिखाएगी.

दिये गये निर्देशानुसार अनुपाल की कार्यवाही जारी है. वर्तमान में श्री हेमकुण्ड साहिब ट्रैक रूट बर्फ के कारण बन्द है और अभी जहाँ तक खुला है वहाँ से ऊपर काफी बर्फ है, साथ ही अभी भी बर्फबारी जारी है. मौसम और रास्ते के खुलने के साथ ही बाकी रास्ते का कार्य भी सुचारु रूप से शुरू कर दिया जायेगा.

अतः तदनुसार सेवा में सूचनार्थ प्रेषित.




Handwritten signature


6/5



घाघरिया बाजार में EDC द्वारा सभी दुकानदारों, होटल व्यवसायी को बड़े कूड़ादान का वितरण किया गया है



Rawat




Rawat

यात्रा मार्ग पर sign boards



Handwritten signature

यात्रा मार्ग पर निर्देश वाले बोर्ड



Handwritten signature

यात्रा मार्ग में कूड़ा दान



NOTARY
D. S. Rawat
 D S Rawat
 Area: Ganeswar
 Reg. No. 112003
 GOVT OF UTTARAKHAND

Rawat

क्रेशिंग मशीन धाघरिया




RVM धाघरिया में



NOTARY
23-3/2024
D S Rawat
Area: Gopeshwar
Reg No: 100/112003
GOVT OF UTTARAKHAND

Rawat


पुलना में प्लास्टिक वेस्ट की छंटई






Rawat



Handwritten signature



गम पानी की चरी:



Rawat


कॉम्पैक्ट मशीन लगने से पहले कबाड़ का निम्त्याण सीधा बेंडर्स को दे कर किस जाता था



NOTARY
D S Rawat
Aret.- Gopeshwar
Reg No 08/11/2003
GOVT OF UTTARAKHAND



Rawat

पशु चिकित्सको के सहयोग से पशुओं का बीमा करण और म्याम्ब्य की जांच



Rawat

प्रतिदिन गमने की सफाई:



Handwritten signature
1 Roz COM

उपवन संरक्षण नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ।


विषय:- मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-५६१/२०२२ उर्वशी शोभना कछरी बनाम भारत संघ व अन्य निर्णित ओदश दिनांक ०५/०१/२०२४ का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दिनांक २४/०१/२०२४ को अध्यक्षता में आहूत बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-५६१/२०२२ उर्वशी शोभना कछरी बनाम भारत संघ व अन्य में निर्णित आदेश दिनांक ०५/०१/२०२४ के अनुपालन के क्रम उपवन संरक्षण नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ के पत्र संख्या-२४६०/२६-१ जोशीमठ दिनांक २० जनवरी २०२४ की अनुपालन आख्या सूचना निम्नानुसार की जा रही है।

१- गोविन्दघाट , घांघरिया,श्री हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर इस वन प्रभाग के नियंत्रणाधीन ई०डी०सी० भ्यूंडार द्वारा जैविक, अजैविक अपशिष्ट का नियमानुसार निस्तारण किया जाता है। ईडीसी भ्यूंडार द्वारा श्री हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर ठोस कूड़े के संग्रहण एवं पृथकीकरण हेतु ५०-६० सुफाई कर्मचारी लगाये गये है तथा स्थान घांघरिया में ०१ प्लास्टिक क्रशर मशीन तथा ०२ प्लास्टिक बोलत क्रशर मशीन लगायी गयी है। इससे अतिरिक्त कूड़े के निस्तारण हेतु ईडीसी भ्यूंडार द्वारा स्थान पुलना में एक कॉम्पैक्टर मशीन स्थापित की गयी है। कूड़े-कचरी को कॉम्पैक्ट करने के पश्चात ईडीसी द्वार इसे पंजीकृत रिसाईक्लर्स को बेचा जाता है।

२- ई०डी०सी भ्यूंडार द्वारा श्री हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर जाने वाले घोड़े, खच्चरों की संख्या ११०० तक सीमित कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त ई.डी.सी. पुलना भ्यूंडार द्वारा घोड़ा पड़ावों पर बजन मापने वाली मशीन भी लगायी गयी है व्यक्ति का बजन करने के उपरान्त ही घोड़े उपलब्ध कराये जाते है। वर्ष २०२३ श्री हेमकुण्ड साहिब पैदल यात्रा मार्ग पर ई.डी.सी. द्वारा १२०० घोड़े, खच्चरों को पंजीकरण किया गया है।



ह०/उपवन संरक्षण नन्दादेवी जोशीमठ

प्रमाणित

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चमोली।

[Handwritten Signature]

पत्रांक :- 2460 / 26-1

जोशीमठ,

दिनांक,

20 जनवरी 2024

628

सेवा में

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
घमोली।

विषय:-

मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-561/2022 उर्वशी शोभना कछरी बनाम भारत संघ व अन्य निर्णित आदेश दिनांक 05.01.2024 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दिनांक 24.01.2024 को सांय 3.00 बजे से अपर जिलाधिकारी घमोली की अध्यक्षता में आहूत समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ:-

जिलाधिकारी घमोली का पत्रांक- 1908 /इक्कीस-एल०डी०सी०/2022-2023 दिनांक 20-01-2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-561/2022 उर्वशी शोभना कछरी बनाम भारत संघ व अन्य में निर्णित आदेश दिनांक 05.01.2024 के अनुपालन के क्रम में सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

1. गोविन्दघाट-घांघरिया-श्री हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर इस वन प्रभाग के नियंत्रणाधीन ई०डी०सी० भ्यूंडार द्वारा जैविक-अजैविक अवशिष्ट का नियमानुसार निस्तारण किया जाता है। ई०डी०सी० भ्यूंडार द्वारा श्री हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर ठोस कूड़े के संग्रहण एवं पृथकीकरण हेतु 50-60 सफाई कर्मचारी लगाये गये हैं तथा स्थान घांघरिया में 01 प्लास्टिक कशर मशीन तथा 02 प्लास्टिक बोतल कशर मशीन लगायी गयी है। इसके अतिरिक्त कूड़े के निस्तारण हेतु ई०डी०सी० द्वारा स्थान पुलना में एक काम्पेक्ट मशीन स्थापित की गयी है। कूड़े-कचरे को काम्पेक्ट करने के पश्चात ई०डी०सी० द्वारा इसे पंजीकृत रिसाईक्लर्स को बेचा जाता है।
2. ई०डी०सी० भ्यूंडार द्वारा श्री हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर जाने वाले घोड़ा-खच्चरों की संख्या 1100 तक सीमित कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त ई०डी०सी० द्वारा घोड़ा पड़ावों पर बजन मापने वाली मशीन भी लगायी गयी है व्यक्ति का बजन करने के उपरान्त ही घोड़े उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्ष 2023 में श्री हेमकुण्ड साहिब पैदल यात्रा मार्ग पर ई०डी०सी० द्वारा 1200 घोड़े-खच्चरों का पंजीकरण किया गया था।



महोदय,

(बी० बी० मर्तोलिया)

उप वन संरक्षक,

नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ ।

M. K. Pant
R. Pant
3-9-2024
TRU/CMK

जिला पर्यटन अधिकारी चमोली।


629

महोदय,

जिलाधिकारी कार्यालय चमोली के पत्र सं०-१६०८(१)/इक्कीस-एल०बी०सी०-१/२०२२-२०२४ दिनांक २२ जनवरी २०२४ को सन्दर्भ ग्रहण करने का काष्ट करें जिसके माध्यम से दिनांक २५/०१/२०२४ को अपर जिलाधिकारी महोदय चमोली की अध्यक्षता में मा०एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-५६१/२०२२ उर्वशी शोभना कछरी बनाम भारत संघ व अन्य में निर्णित आदेश दिनांक ०५/०१/२०२४ के जिला पर्यटन विकास अधिकारी गोपेश्वर चमोली के पत्रांक संख्या-१०१८/एन.जी.टी./२०२३-२४ की अनुपालन आख्या निम्नवत है:-

- १- पर्यटन विभाग द्वारा हेमकुण्ड साहिब/फूलों की घाटी जाने वाले पर्यटकों की सीमा निर्धारण हेतु रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है साथ ही स्थान पुलना में रजिस्ट्रेशन का सत्यापन करने के उपरान्त ही हेमकुण्ड साहिब जाने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।
- २- पर्यटन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं ई.डी.सी.भ्युंडार द्वारा मार्ग पर पर्यटकों हेतु दिशा-निर्देश Do's & Dont के साईनेज लगवाये जा रहे है
- ३- पर्यटकों को अपने साथ अजैविक कूड़ा यथा, प्लास्टिक बोतल आदि न फेके जाने हेतु प्रेरित किया जाता है, जिस हेतु ई.डी.सी. जिला पंचायत, वन विभाग एवं गढ़वाल विश्वविद्यालय के पर्यटन अनुभाग द्वारा कूड़ा निस्तारण हेतु पर्यटकों/स्थानीय निवासियों को प्रेरित किया जाता है।

अतः महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।



ह०/पर्यटन अधिकारी चमोली

प्रमाणित

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चमोली।

certified in the presence of the signatories
R. R. R.
Gopeshwar Chaurak
13/01/2024

Handwritten signature/initials.

670

"पंजीकृत/दस्ती/साधारण/ई-मेल"

कार्यालय जिला पर्यटन विकास अधिकारी गोपेश्वर-चमोली।

पत्रांक 1018 / एन0जी0टी0 / 2023-24

दिनांक 23 जनवरी, 2024

सेवा में,

अपर. मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत चमोली।

विषय- मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-561/22 उर्वशी शोभना बनाम भारत संघ व अन्य में निर्णित आदेश दि0 05.01.2024 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अध्यावधिक सूचनाओं के साथ समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी कार्यालय चमोली 1908(1)/इक्कीस-एल0बी0सी0-1/2022-2023 दिनांक 22 जनवरी, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक 25.01.2024 को अपराह्न 12.00 बजे अपर जिलाधिकारी महोदय चमोली की अध्यक्षता में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-561/2022 उर्वशी शोभना कछारी बनाम भारत संघ व अन्य में निर्णित आदेश दिनांक 05.01.2024 के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु समीक्षा बैठक आहूत की गई है, जिसमें विभाग से सम्बन्धित सूचनायें आपको उपलब्ध कराने के साथ बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के क्रम में विभाग से सम्बन्धित सूचनायें एवं अनुपालन आख्या निम्नवत है-

- 1- पर्यटन विभाग द्वारा हेमकुण्ड साहिब/फूलों की घाटी जाने वाले पर्यटकों की सीमा निर्धारण हेतु रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है साथ ही स्थान पुलना में रजिस्ट्रेशन का सत्यापन करने के उपरान्त ही हेमकुण्ड साहिब जाने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।
 - 2- पर्यटन विभाग, लोक निर्माण एवं एवं ई0डी0सी0 भ्यूंडार द्वारा मार्ग पर पर्यटकों हेतु दिशा-निर्देश Do's & Dont के साईनेज लगवाये जा रहे हैं।
 - 3- पर्यटकों को अपने साथ अजैविक कूड़ा यथा, प्लास्टिक, बोतल आदि न फेंके जाने हेतु प्रेरित किया जाता है, जिस हेतु ई0डी0सी0, जिला पंचायत, वन विभाग एवं गढ़वाल विश्वविद्यालय के पर्यटन अनुभाग द्वारा कूड़ा निस्तारण हेतु पर्यटकों/स्थानीय निवासियों को प्रेरित किया जाता है।
- अतः महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भिवदीय
23/1/24

कृते जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
गोपेश्वर-चमोली।

पू0प0सं0 / समदिनांकित 2024,


प्रतिलिपि- जिलाधिकारी, महोदय चमोली की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

कृते जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
गोपेश्वर-चमोली।

Notarized that Shri/Smt. Winek Jank
is the deponent
born on 11/11/1978
at Chamoli

Chamoli Chand

DTDO Letter-3 Email-tourismchamoli@gmail.com



(TRUB COPY)
Mecha

प्रेषक,

जिला पंचायतराज अधिकारी,
चमोली।

672

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत चमोली।

पत्रांक:- 912 / पं0-2 / 2024 मा0 एन0जी0टी0 / 2023-24 / दिनांक-01 फरवरी, 2024


विषय:- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0-561 / 2022 उर्वशी कछारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2024 के परिपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्र सं0-2573 / नौ-एक / 2024 मा0 एन0जी0टी0 / दिनांक 25 जनवरी, 2024 के क्रम में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-561 / 2022 उर्वशी शोभना कछारी बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 एन0जी0टी0 निर्णित आदेश दिनांक 05.01.2024 के क्रम में हेमकुण्ड साहिब के यात्रा मार्ग पर पडने वाली ग्राम पंचायत भ्यूंडार में ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता के तहत किये गये कार्यो का परिपालन व फोटो ग्राफ आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित।

संलग्न:- किये गये कार्य व फोटो ग्राफ।

भवदीय,


जिला पंचायतराज अधिकारी,
चमोली।

प्रतिलिपि:-अपर जिलाधिकारी महोदय, चमोली की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि
काम डिप्टी मजिस्ट्रेट
आपका आदेशों के तहत कार्य
इन्होंने तत्काल अंतिम करवा
डिप्टी मजिस्ट्रेट का
2/2/2024

जिला पंचायतराज अधिकारी,
चमोली।



अधिकारी का नाम: D. S. Goyal
पता: Goneshwar
Reg No: 081112003
Signature: D. S. Goyal

अधिकारी का नाम: D. S. Goyal
पता: Goneshwar
Reg No: 081112003
Signature: D. S. Goyal

Signature: hweho

कार्यालय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, भ्यूंडार जोशीमठ

पत्रांक १११ / मा०एन०जी०टी० / सूचना / 2023-24 दिनांक 31 जनवरी 2024

६७१

सेवा में,

जिला पंचायतराज अधिकारी
चमोली

विषय:-मा०एन०जी०टी० द्वारा मूल आवेदन सं० 561/2022 उर्वशी शोभना कछारी बनाम यूनिट आफ इण्डियन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05/01/2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत भ्यूंडार विकास खण्ड जोशीमठ जिला चमोली में पंचायतीराज विभाग (ग्राम पंचायत) द्वारा स्वच्छता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्न कार्यवाही पूर्व से सम्पादित की जा रही है-

1. ग्राम पंचायत भ्यूंडार में निवासरत 105 परिवारों को 1 नीला तथा 1 हरा जैविक एवं अजैविक कूड़ादान प्रति परिवारों के हिसाब से घर से कूड़ा उठाने हेतु 210 वितरित किये गये हैं। तथा ग्रामवासियों को घरों का कूड़ा पृथक-पृथक कूड़ेदानों में रखकर एकत्रीकरण केन्द्र पर पहुचाने हेतु प्रेरित किया गया है।
2. ग्राम पंचायत भ्यूंडार के अर्न्तगत सार्वजनिक कूड़ेदानों का निर्माण किये गये हैं। जिसमें ग्रामवासी एवं हेमकुण्ड यात्री कूड़ा डालते हैं।
3. ग्राम पंचायत भ्यूंडार में एक शेग्रीगेशन शैड का निर्माण किया गया है जिसमें तीन स्टोर रूम बनाये गये हैं जिसमें 1- लोहा 2- प्लास्टिक 3- कांच आदि कूड़े को रखा जाता है तथा भ्यूंडार में ही जिला पंचायत से निर्मित काम्पेक्टर सेन्टर पर प्लास्टिक कूड़े को कॉम्पेक्ट किया जा रहा है।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त भ्यूंडार में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा एक पर्यावरण विकास समिति (EDC) गठित की गई है जो कि सम्पूर्ण हेमकुण्ड यात्रा काल के दौरान ग्राम पंचायत की सीमान्तर्गत स्थान गोविन्दघाट से हेमकुण्ड तक यात्रामार्ग पर साफ सफाई एवं कूड़ा उठाने से सम्बन्धित कार्यों का संचालन विगत कई वर्षों से करती आ रही है।

अतः महोदय की सेवा में सूचना सादर प्रेषित।



संलग्न:- फोटोग्राफ

Handwritten signatures and notes in Hindi, including names like 'D. S. Rawat' and 'A. S. Rawat'.



Handwritten signature and date 31/01/2024, followed by the text: ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, मा०पं० भ्यूंडार, जोशीमठ.

Handwritten signature.



NOTARY
D. S. Rawat
Area- Gopeshwar
Reg No 1181112003
GOVT OF UTTARAKHAND

Handwritten signature and text: *Handwritten signature*
TO ROE CAPK